

आधुनिक नीति.निर्माण में प्राचीन मूल्य

Dr. Arun Pratap Singh

Assistant Professor (Guest) Dr. Bhim Rao Ambedkar College University Of Delhi

शोधसार

समकालीन सार्वजनिक नीति और प्रशासन के समक्ष जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक निहितार्थ और संस्थागत भ्रष्टाचार जैसी जटिल एवं बहुआयामी चुनौतियाँ उपस्थित हैं। वर्तमान वैश्वीकृत व्यवस्था में, जहाँ नीतियाँ मुख्य रूप से तकनीकी तर्कसंगतता और आर्थिक दक्षता द्वारा संचालित होती हैं, वहाँ एक दार्शनिक और नैतिक शून्यता उत्पन्न हो गई है। यह विस्तृत शोध पत्र इस बात का गहन और आलोचनात्मक विश्लेषण करता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं विशेषकर भारतीय, ग्रीको-रोमन, चीनी, और मेसोपोटामियाई दर्शन के मूलभूत और शाश्वत मूल्य आधुनिक नीति-निर्माण, प्रशासनिक नैतिकता और वैश्विक शासन के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक और मजबूत रूपरेखा प्रदान करते हैं।

कौटिल्य के 'योगक्षेम' (कल्याणकारी और उत्तरदायी राज्य) के सिद्धांत से लेकर कन्फ्यूशियस के 'ली' (नैतिक अनुष्ठान और पदानुक्रम), स्टोइक दर्शन के 'नियंत्रण के द्विभाजन' और रोमन कानून के 'लेक्स टैलियोनिस' (आनुपातिक न्याय) तक, यह अध्ययन यह स्थापित करता है कि आधुनिक राज्य-प्रशासन केवल डेटा-संचालित तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके लिए एक गहन नैतिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट विस्तार से दर्शाती है कि 'वसुधैव कुटुंबकम्', 'धम्म', 'सत्यनिष्ठा' और 'व्यावहारिक ज्ञान' जैसी प्राचीन अवधारणाएँ आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों, कूटनीति, कॉर्पोरेट प्रशासन, श्रम अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण नीतियों में किस प्रकार अंतर्निहित हैं। इन प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का आधुनिक नीतिगत ढांचे में एकीकरण न केवल प्रशासनिक खामियों को दूर कर सकता है, बल्कि भविष्य की सार्वजनिक नीतियों को एक समावेशी, मानवीय और संवहनीय दिशा भी प्रदान कर सकता है।

मुख्य शब्द : सार्वजनिक नीति, योगक्षेम, वैश्विक शासन, कूटनीति, संस्थागत नैतिकता, स्टोइक दर्शन, अर्थशास्त्र, कन्फ्यूशीवाद, आनुपातिक न्याय।

सार्वजनिक नीति की उत्पत्ति को मानव सभ्यता और संगठित समाज के उदय के साथ ही जोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी की शुरुआत में ही, प्राचीन सुमेरियन शासक अपने शहरों की सुरक्षा, व्यापार और जीवन शक्ति में सुधार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक नीति संबंधी जटिल निर्णय ले रहे थे। यद्यपि आधुनिक काल में लोक प्रशासन और नीति विश्लेषण को हैरोल्ड लॉसवेल, हर्बर्ट साइमन (जिन्होंने 'सीमित तर्कसंगतता' या Bounded Rationality की अवधारणा दी), डेविड ईस्टन और चार्ल्स लिंडब्लोम जैसे विचारकों द्वारा एक वैज्ञानिक अनुशासन का रूप दिया गया, लेकिन इसकी वैचारिक और संरचनात्मक जड़ें प्राचीन काल के राजदरबारों में मौजूद सलाहकारों की विचार-विमर्श प्रक्रियाओं में निहित हैं। प्राचीन भारतीय संदर्भ में, रामायण और महाभारत काल से ही शासकों के पास वशिष्ठ, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे नीतिगत सलाहकार होते थे, जो राज्य की नीतियों को एक सुदृढ़ 'धार्मिक' (नैतिक) दृष्टिकोण प्रदान करते थे। यहाँ धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि 'क्या सही है और क्या गलत' इसके वस्तुनिष्ठ आकलन से था।

आधुनिक युग, जिसे अक्सर 'बुद्धिमान समाज' या 'एल्गोरिथम समाज' कहा जाता है, में तकनीकी तर्कसंगतता ने दार्शनिक आलोचना और नैतिक मूल्यों को हाशिए पर धकेल दिया है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक नीतियों में डेटा-संचालित और परिमाणात्मक दृष्टिकोण तो आया है, किंतु मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय और दीर्घकालिक स्थिरता का निरंतर अभाव उत्पन्न हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1215 के मैग्ना कार्टा के माध्यम से शासकों की पूर्ण शक्तियों को सैद्धांतिक रूप से सीमित करने की शुरुआत से लेकर 18वीं सदी की क्रांतियों और आधुनिक लिखित संविधानों द्वारा शासन को जवाबदेह बनाने तक की यात्रा में, राजधर्म (शासक का कर्तव्य) और नागरिक अधिकारों का संतुलन सदैव केंद्र में रहा है।

प्राचीन भारतीय और वैश्विक शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमारे पास कई प्राथमिक स्रोत उपलब्ध हैं। इनमें 'रामचरित' और 'विक्रमांकदेवचरित' जैसी चरितावलियां, 11वीं शताब्दी का 'मुषिक वंश', यूनानी दार्शनिकों के ग्रंथ, चीनी राजवंशों के अभिलेख, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और बौद्ध व जैन साहित्य शामिल हैं। इन स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि शासन की चुनौतियाँ जैसे कि न्याय सुनिश्चित करना, संसाधनों का वितरण, बाहरी खतरों से सुरक्षा और आंतरिक विद्रोहों का शमन सहस्राब्दियों से अपरिवर्तित रही हैं। यह शोध आलेख इन्हीं विभिन्न सभ्यताओं के ऐतिहासिक नीतिगत ग्रंथों का सूक्ष्म और तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार प्राचीन ज्ञान मीमांसा

और नैतिकता समकालीन राज्य-निर्माण, कूटनीति, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए एक आवश्यक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है।

भारतीय उपमहाद्वीप में शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर व्यवस्थित चिंतन की एक अत्यंत समृद्ध और वैज्ञानिक परंपरा रही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रशासन को केवल शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं माना गया है, बल्कि इसे 'धर्म' (नैतिक कानून और कर्तव्य) की स्थापना का मुख्य साधन माना गया है। इन ग्रंथों ने आधुनिक लोक प्रशासन के कई मूलभूत सिद्धांतों जैसे जवाबदेही, कल्याणकारी राज्य, और संस्थागत सत्यनिष्ठा की नींव रखी।

चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौटिल्य (जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है) द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र', राज्यकला, आर्थिक नीति, सार्वजनिक वित्त और सैन्य रणनीति का एक सर्वांगीण और कालजयी ग्रंथ है। अर्थशास्त्र आधुनिक 'रियलपोलिटिक' या व्यावहारिक राजनीति का प्राचीनतम और संभवतः सबसे परिष्कृत रूप प्रस्तुत करता है, जहाँ राज्य की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि (अर्थ) को राष्ट्रीय शक्ति और स्थिरता का मूल आधार माना गया है।

कौटिल्य ने कूटनीति और विदेशी मामलों को एक बहुआयामी उपकरण के रूप में देखा। उनकी 'मंडल थ्योरी' या 'राजाओं का चक्र', भू-राजनीतिक विश्लेषण और सामरिक सोच का वह जटिल ढांचा है जो आज के बहुध्रुवीय विश्व और जटिल वैश्विक मामलों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अर्थशास्त्र में विदेश नीति के छह उपायों (षाड्गुण्य नीति) का विस्तृत और मनोवैज्ञानिक वर्णन है: 1. संधि (शांति या गठबंधन), 2. विग्रह (युद्ध), 3. यान (सैन्य अभियान या आक्रमण), 4. आसन (तटस्थ रहना या प्रतीक्षा करना), 5. संश्रय (किसी शक्तिशाली राज्य का संरक्षण लेना) और 6. द्वैधीभाव (दोहरी नीति, एक से संधि और दूसरे से युद्ध)।

आधुनिक भारतीय विदेश नीति और कूटनीतिक रणनीतियों में इन षाड्गुण्य नीतियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, डॉ. श्रीपर्णा पाठक जैसे विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि हालिया रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत का 'आसन' (सक्रिय तटस्थता) अपनाना और अपने ऊर्जा आयात को सुरक्षित रखना कौटिल्य के सामरिक चश्मे से समझा जा सकता है, न कि केवल पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों से। इसी प्रकार, कौटिल्य ने विदेश नीति की सफलता को 'वृद्धि' (उन्नति), 'क्षय' (पतन) और 'स्थान' (यथास्थिति) के संदर्भ में मापा, जहाँ एक राज्य का प्राथमिक लक्ष्य पतन से निकलकर यथास्थिति और अंततः वृद्धि की ओर बढ़ना है। यह आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के आर्थिक और सामरिक लक्ष्यों के पूर्णतया अनुरूप है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कौटिल्य ने युद्ध और रक्षा को चार विशिष्ट स्तंभों में विभाजित किया, जो आज के हाइब्रिड और बहुआयामी युद्धों के समतुल्य हैं। ये चार स्तंभ हैं:

1. मंत्र-युद्ध : यह कूटनीतिक युद्ध है, जहाँ बातचीत, गठबंधनों और रणनीतिक संचार के माध्यम से बिना हथियार उठाए लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। आज भारत द्वारा 'क्वाड' (Quad) जैसे गठबंधनों का निर्माण या सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक चैनलों का उपयोग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
2. प्रकाश-युद्ध : यह पारंपरिक सैन्य शक्ति और आमने-सामने का युद्ध है।
3. कूट-युद्ध : यह अनियमित युद्धनीति, गुरिल्ला रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
4. तूष्णीम-युद्ध : यह मूक युद्ध है, जिसमें गुप्तचरों, जासूसों और लक्षित ऑपरेशनों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक खुफिया एजेंसियों के संचालन इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।

आंतरिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, अर्थशास्त्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा 'योगक्षेम' की है। इस शब्द का शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति (योग) और प्राप्त का संरक्षण (क्षेम)। यह विचार आधुनिक कल्याणकारी राज्य की वैचारिक नींव है। कौटिल्य का मानना था कि "प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा के हित में ही उसका हित है।" उनका ग्रंथ एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए एक 'हितधारक मॉडल' प्रस्तुत करता है जहाँ व्यवसायी, श्रमिक और उपभोक्ता सभी समृद्धि साझा करते हैं।

आधुनिक भारत की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी नीतियां वस्तुतः कौटिल्य के उस विचार का ही वैचारिक विस्तार हैं जिसमें राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपनी प्रजा की सुख-समृद्धि और खद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अर्थशास्त्र एक हस्तक्षेपकारी लेकिन लोक-कल्याणकारी राज्य का पुरजोर समर्थन करता है। साथ ही, यह शासकों के प्रशिक्षण (विनय) पर बहुत जोर देता है। कौटिल्य चेतावनी देते हैं कि दर्शन (आन्वीक्षिकी), अर्थशास्त्र (वार्त्ता), और शासन (दंडनीति) में अप्रशिक्षित शासक उस बेलगाम हाथी के समान है जो राज्य को नष्ट कर देता है। यह आधुनिक नौकरशाही और नेतृत्व के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है।

प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा केवल यथार्थवादी राज्यकला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उच्च नैतिक आदर्शों पर भी समान बल देती है। संत तिरुवल्लुवर द्वारा रचित उत्कृष्ट तमिल ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' और महाभारत के उद्योग पर्व का अंश 'विदुर नीति' आधुनिक

कॉर्पोरेट प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व और सामाजिक न्याय के लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व के अमूल्य सूत्र प्रदान करते हैं।

तिरुक्कुरल के शासन संबंधी सिद्धांत निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिक अखंडता और करुणा पर आधारित हैं। यह ग्रंथ स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है कि एक न्यायपूर्ण शासक ही सामाजिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। यह संघर्ष समाधान के लिए हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण संवाद, कूटनीति और पारस्परिक समझ को प्राथमिकता देता है, जो आधुनिक संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मूल चार्टर उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खाता है। तिरुक्कुरल में वर्णित आर्थिक नैतिकता उचित मजदूरी का भुगतान, निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं और कर्मचारियों के शोषण के बिना धन संचय आधुनिक 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानकों के लिए एक आदर्श ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करती है।

दूसरी ओर, महाभारत काल की 'विदुर नीति' शासकों को सत्ता के लालच, अहंकार और अल्पकालिक लाभ के प्रति अत्यंत सचेत करती है। विदुर का यह स्पष्ट मत था कि कोई भी शासक अकेले दम पर राज्य नहीं चला सकता; सुशासन के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने, आत्म-अनुशासन बनाए रखने और निष्पक्ष एवं ज्ञानी सलाहकारों की बात सुनने की आवश्यकता होती है। यह नीति आधुनिक नौकरशाही में 'साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण' विशेषज्ञों की समितियों के गठन और हितधारकों के परामर्श के औचित्य को ऐतिहासिक वैधता प्रदान करती है। विदुर और तिरुवल्लुवर दोनों ही नेताओं को 'राज्य के सेवक' के रूप में चित्रित करते हैं, जो आधुनिक लोक प्रशासन के आदर्शों का मूल हैं।

प्राचीन काल के प्रशासनिक और शासन संबंधी संहिताओं में शुक्राचार्य द्वारा रचित 'शुक्रनीति' का एक विशिष्ट स्थान है। यह ग्रंथ श्रम अधिकारों, कर्मचारी कल्याण, वेतन निर्धारण और कराधान का एक उत्कृष्ट और आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक मानक प्रस्तुत करता है। आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारी संतुष्टि और विवादों का समाधान है।

शुक्रनीति में औद्योगिक और श्रम विवादों (जिन्हें प्राचीन काल में 'स्वामिपाल विवाद' कहा जाता था) के कारणों का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। शुक्राचार्य के अनुसार, कर्मचारियों के बीच असंतोष का मुख्य कारण कम मजदूरी का भुगतान, कठोर व्यवहार, अपमान, दुर्व्यवहार और अत्यधिक जुर्माना या दंड लगाना है। वे स्पष्ट करते हैं कि जो नियोक्ता या शासक अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद नहीं रखता और उन्हें उचित मान्यता नहीं देता, कर्मचारियों को उसे त्याग देना चाहिए। आधुनिक संगठनात्मक मनोविज्ञान और मानव संसाधन प्रथाओं में निष्पक्ष मुआवजा,

प्रदर्शन-आधारित वेतन, पारदर्शी मूल्यांकन और कर्मचारी कल्याण की जो बात की जाती है, वह शुक्रनीति के नैतिक सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से संरेखित है। प्राचीन भारत में नारद स्मृति और शुक्रनीति जैसे ग्रंथों ने श्रमिकों को दासों और कर्मकरों में विभाजित किया था, और आगे चलकर कर्मकरों को भृतक (वेतनभोगी) और अपरेंटिस जैसे वर्गों में बाँटा गया था, जो श्रम के कुशल विभाजनको दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, शुक्रनीति की कराधान प्रणाली न्यायसंगत, आनुपातिक और कल्याण-केंद्रित है। शुक्रनीति का मत था कि कर संग्रह का उद्देश्य राज्य के खजाने को भरना तो है, लेकिन यह इस तरह से किया जाना चाहिए कि उत्पादक वर्ग (किसानों और व्यापारियों) का विनाश न हो। यह सिद्धांत स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा 18वीं सदी में प्रतिपादित 'कराधान के सिद्धांतों' विशेषकर समानता, निश्चितता और सुविधा के सिद्धांतों से आश्चर्यजनक रूप से समानता रखता है। राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक जवाबदेही पर शुक्रनीति का जोर आज की आधुनिक आर्थिक नीतियों के लिए एक नैतिक आधारशिला प्रदान करता है।

बौद्ध ग्रंथ और शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक मुक्ति (निर्वाण) का मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि वे राज्य की उत्पत्ति, न्यायपूर्ण शासन और कल्याणकारी प्रशासन के लिए एक सुव्यवस्थित, तर्कसंगत और अत्यंत व्यावहारिक ढांचा भी प्रस्तुत करती हैं। राजनीति विज्ञान और नीति-निर्माण के अध्येताओं के लिए 'दीघ निकाय' जैसा ग्रंथ विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि यह शासन की पारलौकिक नहीं, बल्कि लौकिक और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है।

दीघ निकाय के 'अग्गन्न सुत्त' में राज्य और शासन की उत्पत्ति का जो विवरण दिया गया है, वह पश्चिमी दार्शनिकों थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या जीन-जैक्स रूसो के 'सामाजिक अनुबंध' सिद्धांत के समान है, किंतु यह उनसे कई शताब्दियों पूर्व स्थापित किया गया था। अग्गन्न सुत्त के अनुसार, मानव समाज के प्रारंभिक चरण में बहुतायत और समानता थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, लालच बढ़ा, निजी संपत्ति का उद्भव हुआ और लोगों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। इन सामाजिक समस्याओं को हल करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर सबसे सक्षम व्यक्ति को अपना प्रशासक चुना, जिसे 'महासम्मत' (महान रूप से या सर्वसम्मति से चुना गया व्यक्ति) कहा गया।

यह सिद्धांत राजत्व की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करता है और शासक को जनता के प्रति सीधे जवाबदेह बनाता है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य का उद्भव जनता की सहमति से हुआ है। इसके साथ ही, दीघ निकाय स्पष्ट करता है कि शक्तिशाली राजशाही का कर्तव्य सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। यह महज

दान नहीं था, बल्कि कमजोर समूहों के लिए संरचनात्मक समर्थन था ताकि आर्थिक नीतियां उन्हें असमान रूप से नुकसान न पहुंचाएं।

बौद्ध शिक्षाएं सुशासन के लिए 'दशराजधर्म' (दस शाही गुण) का प्रतिपादन करती हैं। इसके अतिरिक्त, दीघ निकाय (III, 182, 288) में प्रशासन को चार घातक पूर्वाग्रहों (अगति - Agati) से बचने की सख्त हिदायत दी गई है, जो आधुनिक नौकरशाही के लिए भी सबसे बड़ी चेतावनी है:

1. छंदगति (Chandagati): पसंद, मोह या पक्षपात के कारण लिया गया निर्णय (भाई-भतीजावाद या Cronyism)।
2. दोसगति (Dosagati): द्वेष, क्रोध या घृणा के कारण लिया गया निर्णय।
3. मोहगति (Mohagati): अज्ञानता, भ्रम या मूर्खता के कारण लिया गया गलत निर्णय।
4. भयगति (Bhayagati): डर या किसी दबाव के कारण लिया गया निर्णय।

आज के पारदर्शी प्रशासन संस्थागत निष्पक्षता और 'रूल ऑफ लॉ' (कानून का शासन) को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का इन चार पूर्वाग्रहों से मुक्त होना सर्वोच्च आवश्यकता है। शासकों को 'ब्रह्म विहार' (चार उदात्त मनःस्थिति) मेत्ता (सभी के प्रति प्रेम), करुणा (पीड़ितों के प्रति दया), मुदिता (ईर्ष्या रहित आनंद), और उपेक्षा का पालन करने को कहा गया है। थाईलैंड जैसे देशों में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अपनाए गए 'सुशासन के सिद्धांत' (Rule of law, Merit, Transparency, Participation, Accountability, Economy) प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं बौद्ध शिक्षाओं का आधुनिक नीतिगत रूपांतरण हैं। यह दृष्टिकोण समकालीन चुनौतियों जैसे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और सत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक मजबूत नैतिक रूपरेखा देता है।

सम्राट अशोक (268-232 ईसा पूर्व) के शासनकाल के शिलालेख विश्व के इतिहास में राज्य-प्रायोजित पारिस्थितिक संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के प्राचीनतम लिखित साक्ष्य माने जाते हैं। जब आज दुनिया 'एन्थ्रोपोसीन' युग के गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रही है, तब अशोक की नीतियां आधुनिक पर्यावरणीय कानूनों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्रोत हैं।

अशोक के प्रसिद्ध 'पाँचवें स्तंभ शिलालेख' को पुरातनता में दिया गया पहला प्रमुख पर्यावरणीय वक्तव्य माना जा सकता है। इसमें अशोक ने स्पष्ट रूप से वन्यजीवों की रक्षा का आदेश दिया और पक्षियों, मछलियों और अन्य जानवरों की विशिष्ट प्रजातियों की हत्या और शिकार पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। अशोक के पर्यावरणीय निर्देश केवल पशु संरक्षण तक सीमित नहीं थे; उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि भूसी को नहीं जलाया

जाना चाहिए क्योंकि उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। आज के समय में कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले भयंकर वायु प्रदूषण के संदर्भ में अशोक का यह आदेश अत्यंत दूरदर्शी प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त, उनके शिलालेखों (विशेषकर रॉक एडिक्ट II) में मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए राज्य-प्रायोजित चिकित्सा व्यवस्था, औषधीय जड़ी-बूटियों के आयात और प्रत्यारोपण, यात्रियों के लिए कुएं खोदने और छायादार पेड़ लगाने का विवरण है, जिसे 'बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी' कहा जा सकता है। अशोक ने इन नैतिक और पारिस्थितिक नीतियों को केवल अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पड़ोसी राज्यों (चोल, पांड्य, सीरिया के राजा एंटियोकस) में भी इनका विस्तार किया, जो 'ट्रांस-नेशनल एथिकल कोऑपरेशन' (पार-राष्ट्रीय नैतिक सहयोग) का प्राचीनतम रूप है।

विडंबना यह है कि आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मानसेहरा में स्थित इन ऐतिहासिक शिलालेखों को आधुनिक कानूनों (जैसे 1975 के पुरावशेष अधिनियम) के तहत संरक्षित तो किया गया है, लेकिन इन वैधानिक ढांचों में स्पष्ट बफर ज़ोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित जोखिम शमन का अभाव है, जो दर्शाता है कि आधुनिक पर्यावरणीय नीतियां अभी भी कार्यान्वयन के स्तर पर प्राचीन दूरदर्शिता से सीख सकती हैं।

पाश्चात्य नीतिगत ढांचे, संवैधानिक प्रशासन और न्यायशास्त्र के विकास में प्राचीन ग्रीको-रोमन दार्शनिकों और न्यायविदों का अमूल्य योगदान रहा है। पश्चिमी लोकतांत्रिक संस्थाएं आज भी उन्हीं मौलिक प्रश्नों और कमियों से जूझ रही हैं जिन्हें प्लेटो और अरस्तू ने सहस्राब्दियों पूर्व उठाया था जैसा कि अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने टिप्पणी की थी कि यूरोपीय दार्शनिक परंपरा प्लेटो के काम के फुटनोट्स की एक श्रृंखला है।

लोकतंत्र के संकट की अवधारणा कोई नई बात नहीं है; प्लेटो और थ्यूसीडाइड्स जैसे विचारकों ने प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कमजोरियों को देखा और तर्क दिया कि राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र के भीतर ही अंतर्निहित है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध और युगांतरकारी कृति 'द रिपब्लिक' में न्याय की खोज की और एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। उनका मानना था कि राज्य का नेतृत्व एक 'दार्शनिक राजा' के हाथों में होना चाहिए।

प्लेटो का तर्क था कि शासक के पास पूर्ण सत्य का ज्ञान, गहन नैतिक चरित्र और अखंडता होनी चाहिए। वे मानते थे कि सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए जो शक्ति के भूखे हैं, बल्कि उनके हाथ में होनी चाहिए जो शासन करने के अनिच्छुक हैं लेकिन कर्तव्य बोध से बंधे हैं। प्लेटो यह चेतावनी देते हैं कि अज्ञानी, भ्रष्ट या केवल

वाकपट्ट नेताओं के हाथों में सत्ता समाज के पतन का कारण बनती है। आज जब आधुनिक लोकतंत्रों में लोकलुभावनवाद, पहचान की राजनीति, धनबल और अल्पकालिक राजनीतिक स्वार्थ की समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं, तब प्लेटो की यह शिक्षा कि 'दीर्घकालिक दृष्टिकोण अल्पकालिक लोकप्रियता से अधिक महत्वपूर्ण है', नीति-निर्माताओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त, प्लेटो ने असमानता से निपटने के लिए संसाधनों के समान वितरण पर जोर दिया, जो आज की 'यूनिवर्सल केयर' और समावेशी नीतियों के दर्शन का आधार है।

अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के आदर्शवाद की आलोचना की और राजनीति को 'प्रैक्टिकल ज्ञान' के विषय के रूप में स्थापित किया। उनकी कृति 'पॉलिटिक्स' में सरकारों को उनके रूप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है: राजशाही (एक का शासन), अभिजात वर्ग (कृषि का शासन), और पॉलिटी/गणतंत्र (बहुतों का शासन) कॉन्स्टिट्यूशन।

अरस्तू का सबसे बड़ा योगदान 'कानून का शासन' की अवधारणा को स्पष्ट करना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि कानून का शासन किसी भी व्यक्ति के शासन से बेहतर है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून राजनेताओं की बदलती सनक या स्वार्थों के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे तर्क और 'आम भलाई' पर आधारित होना चाहिए। अरस्तू ने एक 'मिश्रित संविधान' की वकालत की जहाँ कुलीन और लोकतांत्रिक तत्वों का संतुलन हो ताकि कोई भी वर्ग दूसरे का दमन न कर सके। आधुनिक अमेरिकी और यूरोपीय संवैधानिक व्यवस्थाओं में संस्थागत 'चेक एंड बैलेंस' का जो सिद्धांत अपनाया गया है, वह ऐतिहासिक रूप से अरस्तू के इसी मिश्रित संविधान के विचार से ही विकसित हुआ है। उनका यह मानना कि राज्य का उद्देश्य केवल जीवन की रक्षा करना नहीं, बल्कि 'अच्छे जीवन' को सुनिश्चित करना है, आधुनिक मानव विकास सूचकांकों का वैचारिक आधार है।

कानून और न्याय प्रणाली के विकास में प्राचीन मेसोपोटामिया और रोम का योगदान आधारभूत है। हम्मुराबी की संहिता, 1750 ईसा पूर्व के आसपास) आधुनिक कानूनी ढांचे और न्याय प्रणाली के प्राथमिक आधारों में से एक है। हम्मुराबी की संहिता ने 'लेक्स टैलियोनिस' या प्रतिशोध के कानून के माध्यम से 'आनुपातिक न्याय' की नींव रखी। यद्यपि "आंख के बदले आंख" का सिद्धांत आधुनिक दृष्टि से कठोर प्रतीत होता है, लेकिन इसका मूल दर्शन अत्यधिक क्रांतिकारी था: सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए, न कि शासक की मनमर्जी या अपराधी की सामाजिक स्थिति के आधार पर। यह सिद्धांत आधुनिक दंड संहिताओं का अपरिवर्तनीय सिद्धांत बन गया है।

कानूनी संरचना के मामले में रोमन गणराज्य का 'ट्वेल्फ टेबल्स' (Law of the Twelve Tables, 450 ईसा पूर्व) एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसने एक ऐसी

संस्कृति की शुरुआत की जहाँ कानून लिखित, सार्वजनिक और सभी के लिए सुलभ होने चाहिए, जो आधुनिक 'रूल ऑफ़ लॉ' की पहली शर्त है ट्वेल्फ़ टेबल्स ने संपत्ति के अधिकारों, संविदाओं और नागरिक अधिकारों को संहिताबद्ध किया। रोमन न्यायविदों के ज्ञान और इन संहिताओं को छठी शताब्दी में सम्राट जस्टिनियन द्वारा 'कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस' के रूप में संकलित किया गया।

रोमन कानून का यह ढांचा 'जस कम्पून' के रूप में विकसित हुआ, जो आज फ्रांस (नेपोलियनिक कोड), जर्मनी (1896 कोड), जापान और लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के अधिकांश देशों की 'सिविल लॉ' प्रणाली का प्रत्यक्ष आधार है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन यहूदी और रोमन परंपराओं ने न्यायशास्त्र में 'व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी' की अवधारणा को विकसित किया, जिसने सामूहिक या पारिवारिक दंड की बर्बर प्रथाओं को समाप्त कर व्यक्ति को कानून के समक्ष जवाबदेह बनाया।

आधुनिक नीति-निर्माण में, जहाँ नेता अक्सर भयंकर तनाव, सार्वजनिक आलोचना और तीव्र संकटों (जैसे महामारियाँ, युद्ध, वित्तीय मंदी) का सामना करते हैं, वहाँ प्राचीन 'स्टोइक दर्शन' का पुनरुत्थान हुआ है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जिन्हें 'पांच अच्छे सम्राटों' में अंतिम माना जाता है।

स्टोइक दर्शन का सबसे प्रमुख और व्यावहारिक सिद्धांत 'नियंत्रण का द्विभाजन' है। ऑरेलियस लिखते हैं कि "आपका अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात का अहसास करें, और आपको शक्ति मिल जाएगी।" नीति-निर्माताओं और कॉर्पोरेट नेताओं के लिए यह सिद्धांत एक दिशा-निर्देश का कार्य करता है। यह सिखाता है कि आर्थिक मंदी, वैश्विक महामारी, प्रतिस्पर्धियों के कार्य या मीडिया की आलोचना जैसी अनियंत्रित बाहरी घटनाओं पर ऊर्जा नष्ट करने के बजाय, नेता को अपनी प्रतिक्रियाओं, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और संचार जिन्हें वे वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मार्कस ऑरेलियस ने 'बाधा को ही मार्ग बनाने' (The impediment to action advances action) का सिद्धांत दिया। उन्होंने असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में देखा। आधुनिक संगठनात्मक 'रेज़ीलियेंस ट्रेनिंग' इसी वैचारिक ढांचे पर आधारित है। स्टोइक दृष्टिकोण में नेतृत्व का अर्थ केवल शक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह एक सेवा है। ऑरेलियस का मानना था कि "हम सब जुड़े हुए हैं, जो छत्ते को नुकसान पहुंचाता है, वह मधुमक्खी को भी नुकसान पहुंचाता है।" यह दृष्टिकोण आधुनिक प्रशासकों को सहानुभूति पैदा करने, अहंकार-प्रेरित निर्णयों से बचने और सामान्य भलाई के लिए काम करने हेतु प्रेरित करता है, एक निरंकुश शासक होने के बावजूद ज्ञान

और सद्गुण के साथ सत्ता का उनका उपयोग आज के राजनेताओं के लिए एक अपवाद और आदर्श दोनों है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत ने 20वीं सदी के अधिकांश भाग में 'यथार्थवाद' पर ध्यान केंद्रित किया, जहाँ संप्रभु राष्ट्र-राज्यों को ही एकमात्र प्रमुख अभिनेता माना गया। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्वीकरण के तीव्र प्रसार के साथ 'वैश्विक शासन' की अवधारणा सामने आई। वैश्विक शासन कोई विश्व सरकार नहीं है, बल्कि यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से संप्रभु राज्य, बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs), अंतर्राष्ट्रीय संगठन (UN, WTO) और नागरिक समाज वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आते हैं।

वैश्विक शासन के इस जटिल और अंतर्संबंधित युग में, भारत के नीति-निर्माताओं ने अपनी प्राचीन सभ्यतागत ज्ञान राशि से एक अत्यंत शक्तिशाली कूटनीतिक और रणनीतिक उपकरण निकाला है: वसुधैव कुटुंबकम् ("पूरी दुनिया एक परिवार है")। यह सूत्र प्राचीन 'महा उपनिषद्' और 'हितोपदेश' से लिया गया है: "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्" (यह मेरा है और यह पराया है, ऐसा संकीर्ण सोच वाले मानते हैं, विशाल हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है)।

भारतीय विदेश नीति में 'वसुधैव कुटुंबकम्' का उपयोग मात्र एक आदर्शवादी या धार्मिक उद्घोषणा नहीं है, बल्कि यह भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाला एक बहुमुखी राजनयिक मंत्र बन गया है। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने इसका उपयोग विभिन्न कूटनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए किया है:

अटल बिहारी वाजपेयी (2002) ने मानवाधिकारों की वकालत करते हुए इस श्लोक का उल्लेख किया और दर्शाया कि भारत का मानवाधिकार दृष्टिकोण प्राचीन काल से ही सार्वभौमिक है।

नरेन्द्र मोदी (2014 से वर्तमान) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार, सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, और विशेषकर 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' (One Earth, One Family, One Future) के रूप में इसका सर्वाधिक सफल कूटनीतिक उपयोग किया।

यह दर्शन ग्लोबल साउथ के एकीकरण, बहुपक्षवाद और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक नैतिक और वैचारिक ढांचा प्रदान करता है। जब भारत अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की वकालत करता है, या कोरोना महामारी के दौरान 'वैक्सीन मैत्री' के तहत दुनिया भर में टीके भेजता है, तो यह 'वसुधैव कुटुंबकम्' की नीति का ही व्यावहारिक क्रियान्वयन है।

प्राचीन भारत की 'सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर' जो व्यापार, आयुर्वेद (जैसे कोट्टुक्कल में) और बौद्ध व हिंदू दर्शन के माध्यम से एशिया और अफ्रीका में फैली आज 'इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस' (ICCR) जैसी संस्थाओं के माध्यम से भारत की रणनीतिक कूटनीति का मुख्य आधार बनी हुई है। यह साबित करता है कि प्राचीन दर्शन केवल संग्रहालयों की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भू-राजनीतिक विमर्श को दिशा देने में पूरी तरह से सक्षम है।

सार्वजनिक नीति की वास्तविक सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितने प्रभावी ढंग से डेटा, सांख्यिकी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है, बल्कि इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि वह मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सभ्यतागत बुद्धिमत्ता के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है जब नीतियों को केवल तकनीकी मापदंडों पर तौला जाता है, तो समाज में अलगाव और अविश्वास पैदा होता है।

इस विस्तृत शोध से सार्वजनिक प्रशासन और शासन के लिए कई द्वितीयक और तृतीयक स्तर की अंतर्दृष्टि उभर कर सामने आती हैं:

प्रथम, स्कैंडिनेवियाई और पश्चिमी यूरोपीय देशों में जिसे आज एक अत्यंत आधुनिक 'कल्याणकारी राज्य' का मॉडल माना जाता है, वह ऐतिहासिक रूप से कौटिल्य के 'योगक्षेम' और बौद्ध दीघ निकाय के 'महासम्मत्' सिद्धांत की वैचारिक प्रतिध्वनि मात्र है। इन प्राचीन ग्रंथों ने बहुत पहले यह स्थापित कर दिया था कि राज्य की भूमिका एक पुलिस या 'रक्षक' से ऊपर उठकर एक 'संरक्षक' की होनी चाहिए। आधुनिक कराधान नीतियां, जो एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती हैं, उनके सूत्र 'शुक्रनीति' में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो कर को लूट का नहीं, बल्कि समाज के पोषण का साधन मानते हैं।

द्वितीय, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अक्सर यथार्थवाद (Realism) और आदर्शवाद के बीच वैचारिक टकराव देखते हैं। प्राचीन भारतीय षाड्गुण्य नीति (अर्थशास्त्र) और चीनी कानूनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की नीतियां पूरी तरह से यथार्थवादी, व्यावहारिक और शक्ति-संचालित होनी चाहिए। लेकिन, इसके साथ ही, उनका अंतिम उद्देश्य (जैसे कन्फ्यूशीवाद का 'ली', बौद्ध धर्म का 'धम्म', या भारत का 'वसुधैव कुटुंबकम्') गहरा नैतिक और आदर्शवादी होना चाहिए। यही यथार्थवाद और आदर्शवाद का संतुलन एक सफल विदेश नीति का आधार है।

तृतीय, पर्यावरणीय कूटनीति और पारिस्थितिक स्थिरता के संदर्भ में, सम्राट अशोक के पारिस्थितिक फरमान यह सिद्ध करते हैं कि राज्य को मानवीय उपभोग को नियंत्रित करने और अन्य प्रजातियों के अधिकारों को मान्यता देने का पूरा वैधानिक और नैतिक

अधिकार है। जब आधुनिक पर्यावरणीय न्यायशास्त्र नदियों या जंगलों को कानूनी अधिकार देता है, तो वह अनजाने में अशोक के मॉडल का ही अनुसरण कर रहा होता है। यह दर्शाता है कि भविष्य के जलवायु कानूनों को प्राचीन पारिस्थितिक नैतिकता से जोड़ा जा सकता है।

अंततः, आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को अक्षुण्ण और कार्यशील बनाए रखने के लिए, नीति-निर्माताओं और प्रशासकों को अरस्तू की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, प्लेटो की नैतिक अखंडता, विदुर के त्याग, और मार्कस ऑरेलियस की स्थिर-प्रज्ञता को अपने व्यक्तिगत और संस्थागत आचरण में समाहित करना होगा। आधुनिक वैधानिक ढांचे (संविधान) और तकनीकी क्षमता को जब प्राचीन 'मूल्य शिक्षा' जवाबदेही और राजधर्म के साथ पूरी तरह से जोड़ा जाएगा, तभी एक न्यायसंगत, समावेशी, पारदर्शी और दीर्घकालिक नीतिगत संरचना का निर्माण संभव हो सकेगा। शासन का स्वरूप चाहे राजशाही रहा हो या आज का आधुनिक लोकतंत्र, नीतियां अंततः उस समाज के सामूहिक चरित्र, उसकी नैतिकता और उसकी ऐतिहासिक जड़ों की ही अभिव्यक्ति होती हैं। आधुनिक विश्व की जटिल समस्याओं का समाधान हमारी अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता की जड़ों की ओर लौटने में ही निहित है।

सन्दर्भ सूची -

1. आर. शामशास्त्री, अनु., कौटिल्य अर्थशास्त्र (बैंगलोर: गवर्नमेंट प्रेस, 1915), 1,09,370.
2. महाभारत (उद्योग पर्व - विदुर नीति), संपा. गीता प्रेस (गोरखपुर: गीता प्रेस, 2018), अध्याय 33, श्लोक 7.
3. बेनॉय कुमार सरकार, अनु., द शुक्रनीति (इलाहाबाद: पाणिनी ऑफिस, 1914), अध्याय 2,138.
4. मौरिस वॉल्श, अनु., द लॉन्ग डिस्कॉर्सेस ऑफ द बुद्धा: ए ट्रांसलेशन ऑफ द दीघ निकाय (बोस्टन: विजडम पब्लिकेशन्स, 1995), 407,415.
5. "पाँचवाँ स्तंभ शिलालेख" रोमिला थापर कृत अशोक एंड द डिवलाइन ऑफ द मौर्यास (नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997), परिशिष्ट V में अनूदित.
6. "पाँचवाँ स्तंभ शिलालेख" मीना तलीम द्वारा पिलर एडिक्ट V के मूल पाठ का अंग्रेजी अनुवाद.
7. प्लेटो, द रिपब्लिक, स्टीफेनस 473c.
8. अरस्तू, पॉलिटिक्स, अनु. सी. डी. सी. रीव (इंडियानापोलिस: हैकेट पब्लिशिंग, 2017), बेकर 1094a.
9. रॉबर्ट फ्रांसिस हार्पर, अनु., द कोड ऑफ हम्मुराबी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1904, नियम 129.
10. द ट्वेल्फ टेब्ल्स, एन्शिअंट रोमन स्टैच्यूट्स में अनूदित, अनु. एलन सी. जॉनसन (ऑस्टिन: यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास प्रेस, 1961), टेबल 1.
11. मार्कस ऑरेलियस, मेडिटेशंस, अनु. मार्टिन हैमंड (लंदन: पेंगुइन क्लासिक्स, 2014), पुस्तक 2, पंक्ति 11.
12. महा उपनिषद, अध्याय 6, श्लोक 71.

अन्य सहायक सन्दर्भ

1. The Evolution of Global Governance: Theory and Practice | Request PDF - ResearchGate, accessed on April 18,2026.

https://www.researchgate.net/publication/261215728_The_Evolution_of_Global_Governance_Theory_and_Practice

2. *Global Governance Research in* - Brill, accessed on April 15, 2026, https://brill.com/view/journals/gg/28/4/article-p486_2.xml?language=en

3. *Global Governance in the 21st Century: Alternative Perspectives on World Order*, accessed on April 15, 2026, <https://eba.se/app/uploads/2021/04/2002.2-Global-Governance-in-the-21st-Century-Alternative-Perspectives-on-World-Order.pdf>

4. *Distinguished Lectures Details* - Ministry of External Affairs, accessed on April 15, 2026, <https://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?825>

5. *'Vasudhaiva kutumbakam' for the 21st century* - Brookings Institution, accessed on April 15, 2026, <https://www.brookings.edu/articles/vasudhaiva-kutumbakam-for-the-21st-century-2/>

6. *'Vasudhaiva kutumbakam' for the 21st century* - Brookings Institution, accessed on April 15, 2026, https://www.brookings.edu/articles/vasudhaiva-kutumbakam-for-the-21st-century__trashed/

7. *Indian Journals*, accessed on April 16, 2026, <https://indianjournals.com/article/quest-18-1->

8. *'Vasudhaiva Kutumbakam' | India's Cultural Embrace for the Global South* - IPE Global, accessed on April 16, 2026, <https://www.ipeglobal.com/vasudhaiva-kutumbakam-indias-cultural-embrace-for-the-global-south/>

9. *Kautilya's Enduring Economic Philosophy and Its Contemporary Relevance* - IJCRT, accessed on April 15, 2026, <https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2509704.pdf>

10. *A Textbook* - Indian Knowledge Systems, accessed on April 15, 2026, https://iksindia.org/uploads/ebook/Arthashastra_textbook.pdf

11. *Maricopa Open Digital Press*, accessed on April 13 2026, <https://open.maricopa.edu/pad100/chapter/15-origins-of-public-policy-public-policy-textbook/>

12. *Government and Law in the Ancient World | Law | Research Starters* - EBSCO, accessed on April 14, 2026, <https://www.ebsco.com/research-starters/law/government-and-law-ancient-world>

13. *The Evolution of Policy Analysis: From Ancient Times to Modern Think-Tanks*, accessed on April 15, 2026, <https://pubadmin.institute/understanding-public-policy/evolution-of-policy-analysis>

14. *Kautilya and Modern Economics* - IGNCIA, accessed on April 16, 2026, https://ignca.gov.in/invitations/About_the_lecture.pdf

15. *Evolution of India's Welfare State: Bridging Traditional Caretaker Principles with Modern Social Security Systems* - IJHSSM.org, accessed on April 17, 2026, https://ijhssm.org/issue_dcp/Evolution%20of%20India%20s%20Welfare%20State%20Bridging%20Traditional%20Caretaker%20Principles%20with%20Modern%20Social%20Security%20Systems.pdf

16. *Leadership And Governance In Ancient Indian Texts ...* - IJCRT, accessed on April 16, 2026, <https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2504586.pdf>
